

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 17/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक-14.06.2021

1. नारुलाल पुत्र कनीरामजी जाति भील आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. प्रेमचन्द पुत्र कनीराम जी जाति भील आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. लालुराम पुत्र कनीराम जी जाति भील आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. शातिबाई पुत्री कनीराम जी जाति भील आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मोडीबाई पत्नी नंदा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी भीलो की भागल (बिनौता) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. नन्दरामदास पिता बगदुदास जी जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी सांगरिया हा0मु0 बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. भोपालसिंह पिता सज्जनसिंहजी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी भीलो की भागल (बिनौता) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. प्रतापसिंह पिता सज्जनसिंहजी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी भीलो की भागल (बिनौता) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. गंगासिंह पिता सज्जनसिंहजी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी भीलो की भागल (बिनौता) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
6. रोडीलाल पुत्र नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी भीलो की भागल (बिनौता) तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
7. नारायणसिंह पिता रामसिंहजी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
8. राधेश्यामसिंह पिता उदयलालजी जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा बिनोता प0ह0 बिनोता तहसील निम्बाहेडा में खाता सं0 315 की आराजी नं0 1805 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं0 1813 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्युबैल, आराजी नं0 1814 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नं0 1823 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.2400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 600/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा बिनोता प0ह0 बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 315 की आराजी नं0 1805 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं0 1813 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं0 1814 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नं0 1823 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.2400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

